

तत्काल  
समयबद्ध

सं. सी-29011/9/2014-सतर्कता  
भारत सरकार  
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

5वां तल, ए विंग,  
डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड  
नई दिल्ली-110001  
दिनांक : 19 जुलाई, 2016

सेवा में

1. सभी प्रादेशिक निदेशक/कंपनी रजिस्ट्रार/शासकीय समापक
2. एसएफआईओ/सीसीआई/आईआईसीए/एनसीएलटी/एनसीएलएटी, नई दिल्ली।

विषय : लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013-सरकारी कर्मचारियों द्वारा आस्तियों और दायित्वों की घोषणा करने से संबंधित

महोदय/महोदया,

मुझे, उपर्युक्त विषय पर सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05.07.2016 के अर्ध शासकीय पत्र संख्या 407/12/2014-एवीडी/IV बी-भाग-III की एक प्रति सूचनार्थ और सांविधिक अपेक्षाओं का सख्ती से पालन करने हेतु, परिचालित करने का आदेश हुआ है।

2. उपर्युक्त संदर्भ के माध्यम से अन्य बातों के साथ इस बात पर जोर दिया गया है कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44 के उपबंधों के तहत वर्ष 2014, 2015 और 2016 के लिए सभी श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों द्वारा घोषणा दायर करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2016 है।

3. किसी भी तरह के स्पष्टीकरण के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के संबंधित दिशा-निर्देशों का संदर्भ लिया जाए जो कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट ([http://persmin.nic.in/Lokpal\\_HomePage\\_From\\_CCIS.asp](http://persmin.nic.in/Lokpal_HomePage_From_CCIS.asp)) पर उपलब्ध है।

रवि

(रवि वज़ीरानी)

भारत सरकार का अवर सचिव

1. कारपोरेट कार्य मंत्रालय के मुख्यालय स्थित सभी अधिकारी / कर्मचारी
2. उप-निदेशक, ई-गवर्नेंस, कारपोरेट कार्य मंत्रालय को इस परिपत्र को इस मंत्रालय की वेबसाइट पर "कर्मचारी कॉर्नर" के अन्तर्गत अपलोड करने के अनुरोध के साथ